महादेव राव सुकाजी शिवंकर

बनाम

रामरतन बापू व अन्य

अगस्त 13, 2004

[आर.सी. लाहोटी, CJ., जी.पी. माथुर और सी.के. ठक्कर, J.J.]

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951-धारा 83(1)- भ्रष्ट आचरण के आधार पर लौटे उम्मीदवार के चुनाव को चुनौती दी गई- चुनाव याचिका को खारिज करने के लिए आदेश VII नियम 11(ए) के तहत आवेदन, क्योंकि भ्रष्ट आचरण की प्रकृति के बारे में भौतिक तथ्य मौजूद नहीं हैं, आवेदन में नहीं कहा गया। आदेश VI, नियम 16 के तहत आवेदन भी - पराजित उम्मीदवार द्वारा भ्रष्ट आचरण के भौतिक विवरण प्रस्तुत करने की अनुमति के लिए आवेदन, लेकिन लौटाए गए उम्मीदवार को प्रति नहीं दी गई , उच्च न्यायालय ने लौटे उम्मीदवार द्वारा दायर आवेदन खारिज कर दिए, लेकिन पराजित उम्मीदवार के आवेदन की अनुमति दी - अपील पर, माना गया: चुनाव याचिका में पराजित उम्मीदवार द्वारा निर्धारित भ्रष्ट आचरण की प्रकृति के बारे में सभी भौतिक तथ्य शामिल थे और पराजित उम्मीदवार ने चुनाव याचिका में लगाए गए तथ्यों और आरोपों के समर्थन में विवरण प्रदान करने के लिए आवेदन दायर किया था, इस प्रकार याचिका खारिज होने के लिए उत्तरदायी नहीं है- हालाँकि, यह पराजित

उम्मीदवार पर निर्भर है कि वह लौटाए गए उम्मीदवार को दायर आवेदन की प्रति प्रदान करे और अदालत को लौटाए गए उम्मीदवार को समय देना होगा और उचित आदेश देना होगा- इसके अलावा, कुछ झूठे और तुच्छ आरोपों के संबंध में, जांच आयोग ने लौटे उम्मीदवार को दोषमुक्त कर दिया है - इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को अपास्त कर दिया गया और मामले को नए सिरे से निर्णय के लिए वापस भेज दिया गया - सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908-आदेश, VII नियम 11 (ए) और आदेश VI, नियम 16

अपीलकर्ता और प्रथम प्रतिवादी ने चुनाव लड़ा और अपीलकर्ता को निर्वाचित घोषित किया गया। प्रतिवादी-पराजित उम्मीदवार ने निर्वाचित उम्मीदवार द्वारा अपनाई गई भ्रष्ट प्रथाओं के आधार पर अपीलकर्ता-निर्वाचित उम्मीदवार के चुनाव को रद्द करने के लिए चुनाव याचिका दायर की। अपीलकर्ता ने चुनाव याचिका को इस आधार पर खारिज करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश VII, नियम 11 (ए) के तहत आवेदन दायर किया कि भ्रष्ट आचरण के भौतिक विवरणों का खुलासा नहीं किया गया था और याचिका से कुछ दलीलों को हटाने के लिए आदेश VI, नियम 16 के तहत आवेदन दायर किया। इसके बाद प्रतिवादी ने याचिका में कथित भ्रष्ट आचरण के भौतिक विवरण प्रस्तुत करने की अनुमति देने के लिए आवेदन दायर किया, लेकिन आवेदन की प्रति अपीलकर्ता को नहीं दी गई। उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता द्वारा दायर आवेदन को खारिज कर

दिया, हालांकि, प्रतिवादी द्वारा दायर आवेदन को अनुमति दे दी। इसलिए वर्तमान अपील है।

अपीलकर्ता-लौटाए उम्मीदवार ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता द्वारा कथित भ्रष्ट आचरण के 'भौतिक तथ्य चुनाव याचिका में नहीं बताए गए थे, इसलिए, अपीलकर्ता ने चुनाव याचिका को खारिज करने के लिए आदेश VII, नियम 11 (ए) के तहत एक आवेदन दायर किया; चुनाव याचिकाकर्ता द्वारा दायर आवेदन की प्रति अपीलकर्ता को कभी नहीं दी गई और इस तरह वह जवाब दाखिल नहीं कर सका; उच्च न्यायालय को आदेश, VI, नियम 16 के तहत आवेदन स्वीकार कर लेना चाहिए था क्योंकि कथन झूठे, तुच्छ थे और दुर्भावनापूर्ण तरीके से लगाए गए थे; अपीलकर्ता द्वारा दायर आवेदनों के आलोक में, प्रतिवादी ने 'भौतिक तथ्यों का खुलासा करते हुए आवेदन दायर किए जो चुनाव याचिका में नहीं पाए गए थे और ऐसे में उच्च न्यायालय को प्रतिवादी के आवेदन को खारिज कर देना चाहिए था और चुनाव याचिका को खारिज करते हुए अपीलकर्ता के आवेदनों को अनुमति देनी चाहिए थी।

न्यायालय ने अपील स्वीकार करते हुए अभिनिर्धारित किया-

1. चुनाव याचिका में सभी भौतिक तथ्य बताए जाने चाहिए। यदि किसी वाद या याचिका में भौतिक तथ्य नहीं बताए गए हैं, तो उसे केवल उसी आधार पर खारिज किया जा सकता है क्योंकि मामला दंड प्रक्रिया

संहिता के आदेश VII के नियम 11 (ए) के तहत कवर किया जाएगा। अभिव्यक्ति 'भौतिक तथ्य को न तो अधिनियम में और न ही संहिता में परिभाषित किया गया है। भौतिक तथ्य, वे तथ्य हैं जिन पर वादी की कार्रवाई का कारण या प्रतिवादी का बचाव निर्भर करता है। किन विवरणों को भौतिक तथ्य कहा जा सकता है, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा और सार्वभौमिक अनुप्रयोग का कोई नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता है।' ' ' '

तथ्य प्राथमिक या बुनियादी तथ्य होते हैं जिन्हें पक्ष द्वारा उसके द्वारा दायर किए गए मामले के समर्थन में या तो अपनी कार्रवाई या बचाव के लिए पेश किया जाना चाहिए। दूसरी ओर, विवरण, पक्ष द्वारा पेश किए गए भौतिक तथ्यों के समर्थन में विवरण हैं। वे बुनियादी तथ्यों को अंतिम रूप देकर भौतिक तथ्यों को बढ़ाते, परिष्कृत और सुशोभित करते हैं ताकि इसे पूर्ण, अधिक स्पष्ट और अधिक जानकारीपूर्ण बनाया जा सके। विवरण निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करते हैं और विरोधी पक्ष को आश्चर्यचकित नहीं करेंगे। [557-एच; 558-ए-ई]

2.1. वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता द्वारा चुनाव याचिका में निर्वाचित उम्मीदवार द्वारा अपनाए गए भ्रष्ट आचरण की प्रकृति के बारे में भौतिक तथ्य प्रस्तुत किए गए थे और उसके द्वारा अनुमति देने के लिए आवेदन दायर करके जो किया गया था, वह चुनाव याचिका में लगाए गए आरोप के समर्थन में विवरण प्रस्तुत करना था। इसलिए, यह नहीं कहा जा

सकता है कि याचिकाकर्ता द्वारा आवेदन में पहली बार भौतिक तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं और चुनाव याचिका में भौतिक तथ्यों की अनुपस्थिति के आधार पर याचिका खारिज की जा सकती है। [559-बी-डी]

2.2. याचिकाकर्ता का यह कर्तव्य था कि वह आवेदन की एक प्रति लौटाए उम्मीदवार या उसके अधिवक्ता को दे। यह न्यायालय का भी कर्तव्य था कि वह लौटे हुए उम्मीदवार और चुनाव लड़ने वाले उत्तरदाताओं को, यदि कोई हो, तो जवाब प्रस्तुत करने के लिए समय दे; और कानून के अनुसार उचित आदेश पारित करें। उच्च न्यायालय ने उक्त सम्यक अनुक्रम को नहीं अपनाया। इसके अलावा, चुनाव याचिका में झूठे, तुच्छ आरोपों के संबंध में, एक जांच आयोग नियुक्त किया गया था जिसने अपीलकर्ता को दोषमुक्त कर दिया और उच्च न्यायालय ने उक्त पहलू की उचित परिप्रेक्ष्य में सराहना नहीं की। इसलिए, उच्च न्यायालय के आदेश को अपास्त किया जाता है और मामले को नए सिरे से निर्णय के लिए भेजा जाता है। [560-सी-ई]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 8413-15/2003

चुनाव याचिका सं. 1/1999 में सिविल आवेदन सं. 473/2000, 474/2000 और 2321/2000 में बॉम्बे उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 15.2.2003 से।

वी.ए. मोहता और एस.वी. अपीलकर्ता की ओर से देशपांडे।

न्यायालय का निर्णय ठक्कर, जे. द्वारा सुनाया गया:

वर्तमान अपील अपीलकर्ता, निर्वाचित उम्मीदवार द्वारा उच्च न्यायालय, बॉम्बे (नागपुर बेंच) द्वारा चुनाव याचिका संख्या 1/1999 में सिविल आवेदन संख्या 473/2000, 474/2000 और 2321/2000 में पारित सामान्य आदेश के खिलाफ दायर की गई है। उक्त आदेश के अनुसार, यहां अपीलकर्ता द्वारा दायर सिविल आवेदन संख्या 473/2000, 474/2000 को न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था और पहले प्रतिवादी द्वारा दायर सिविल आवेदन संख्या 2321/2000 को स्वीकार कर दिया गया था।हमारे समक्ष अपीलकर्ता द्वारा उठाए गए प्रश्नों की सराहना करने के लिए, प्रासंगिक तथ्य बताए जा सकते हैं-

हमारे समक्ष अपीलकर्ता ने 148 आमगांव विधान निर्वाचन क्षेत्र, भंडारा, महाराष्ट्र से चुनाव लड़ा था। प्रथम प्रतिवादी ने भी उसी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा। जबकि अपीलार्थी निर्वाचित हो गया, पहला प्रतिवादी चुनाव हार गया। इसलिए, बाद में, उन्होंने लौटे उम्मीदवार द्वारा अपनाई गई भ्रष्ट प्रथाओं के आधार पर अन्य बातों के साथ-साथ रिटर्न उम्मीदवार के चुनाव को रद्द करने के लिए बॉम्बे के उच्च न्यायालय (नागपुर बेंच) में एक चुनाव याचिका संख्या 1/1999 दायर की। यह आरोप लगाया गया था कि लौटे उम्मीदवार ने सही और सच्चे खाते प्रस्तुत नहीं किए थे, बेहिसाब धन खर्च किया था, आदि। यह भी आरोप लगाया गया था कि लौटे

उम्मीदवार ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (जिसे इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित किया गया है) के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन किया था और इसलिए, चुनाव रद्द किये जाने योग्य था। यह याचिका 1 नवंबर, 1999 को दायर की गई थी। उत्तरदाताओं को नोटिस जारी किए गए थे, जिसके अनुसार वे उपस्थित हुए थे। सबसे पहले प्रतिवादी-अपीलार्थी ने यहां चुनाव याचिका में किए गए कथनों का खंडन करते हुए एक लिखित बयान दायर किया। उसने दो आवेदन भी दायर किए है; सिविल आवेदन सं. 473 (प्रदर्श 23) अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 7, नियम 11(ए) (इसके बाद 'संहिता' के रूप में संदर्भित) के प्रावधानों के तहत चुनाव याचिका को इस आधार पर खारिज करने के लिए कि इसमें कार्यवाही के कारण का खुलासा नहीं किया गया है और सिविल आवेदन संख्या 474 (प्रदर्श 22) अंतर्गत संहिता के आदेश VI, नियम 16 के तहत कुछ अभिवचनों को हटाने के लिए याचिका। दोनों आवेदनों की प्रतियां याचिकाकर्ता को विधिवत दी गईं। चुनाव याचिकाकर्ता ने दोनों आवेदनों का उत्तर क्रमशः उत्तर प्रदर्श 30 और 27 के माध्यम से दिया। चुनाव याचिकाकर्ता ने याचिका में कथित भ्रष्ट आचरण की सामग्री प्रस्तुत करने की अनुमति देने के लिए सिविल आवेदन संख्या 2321/2000 (प्रदर्श 32) के रूप में एक आवेदन भी दायर किया। उक्त आवेदन 16 जून, 2000 को स्थापित किया गया था। अपीलकर्ता को उक्त आवेदन की कोई प्रति नहीं दी गई थी।

उच्च न्यायालय ने, वर्तमान अपील में लागू, एक सामान्य आदेश दिनांकित 15.02.2023 द्वारा, आवेदन प्रदर्श 22 और 23 को खारिज कर दिया और आवेदन प्रदर्श 32 को अनुमति दे दी। अपीलकर्ता ने उक्त आदेश को इस न्यायालय में जाकर चुनौती दी है।

यह कहा जा सकता है कि सभी प्रतिवादियों पर तामील के बावजूद, कोई भी उपस्थित नहीं हुआ है। इसलिए, हमने श्री वी.ए. मोहता, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, जिनकी विद्वान अधिवक्ता श्री एस.वी. देशपांडे ने सहायता की, को सुना है। अपीलकर्ता की ओर से श्री मोहता ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने आवेदन प्रदर्श 22 और 23 को खारिज करने और आवेदन प्रदर्श 32 को अनुमति देने में कानून के साथ-साथ क्षेत्राधिकार की भी गलती की है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि चुनाव याचिकाकर्ता द्वारा दायर आवेदन प्रदर्श 32 की प्रति को वर्तमान अपीलकर्ता (लौटे हुए उम्मीदवार) को कभी भी तामील नहीं किया गया और इसलिए, वह आवेदन का विरोध करते हुए जवाब दाखिल नहीं कर सका। इसलिए, यह आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन न करने से ग्रस्त है और रद्द किए जाने योग्य है। यह भी प्रस्तुत किया गया था कि आवेदन प्रदर्श 32 समय बाधित था और न्यायालय द्वारा कोई संशोधन नहीं दिया जा सकता था। चूंकि चुनाव याचिका में 'भौतिक तथ्य नहीं बताए गए थे, इसलिए याचिका केवल इस आधार पर खारिज की जा सकती थी और किसी संशोधन की अनुमति नहीं दी जा सकती थी। इस प्रकार उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश से

अपीलकर्ता पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

श्री मोहता द्वारा हमें अधिनियम और संहिता के प्रासंगिक प्रावधानों से अवगत कराया गया है। अधिनियम की धारा 83 की उप-धारा (1) यह कहती है कि एक चुनाव याचिका में 'भौतिक तथ्यों का संक्षिप्त विवरण होना चाहिए जिस पर याचिकाकर्ता भरोसा करता है। इसमें उन भ्रष्ट आचरणों का 'पूर्ण विवरण' भी देना चाहिए, जिनका याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है। हमारे समक्ष अपीलकर्ता का तर्क यह है कि चुनाव याचिकाकर्ता ने अधिनियम की धारा 83(1) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया था और केवल उस आधार पर, चुनाव याचिका खारिज होने योग्य थी। इसलिए, अपीलकर्ता ने एक आवेदन प्रदर्श 23 दायर किया, जिसमें चुनाव याचिका को इस आधार पर खारिज करने की प्रार्थना की गई है कि इसमें कार्रवाई के कारण का खुलासा नहीं किया गया है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता ने चुनाव याचिका में कुछ आरोप लगाए थे जो अनावश्यक, निंदनीय, तुच्छ और परेशान करने वाले थे, जिससे अपीलकर्ता को पूर्वाग्रह और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा और वे संहिता के आदेश VI, नियम 16 के तहत हटाए जाने योग्य थे। अपीलकर्ता के आवेदनों के आलोक में, चुनाव याचिकाकर्ता ने एक आवेदन प्रदर्श 32 'भौतिक तथ्यों का खुलासा करना, जो चुनाव याचिका में नहीं पाए गए थे, दायर किया। इसलिए, उच्च न्यायालय का कर्तव्य था कि वह आवेदन प्रदर्श 32 को खारिज करे व आवेदन प्रदर्श 22, 23 को स्वीकार करे और चुनाव याचिका को खारिज

करें।

अब, इसमें कोई संदेह नहीं है कि चुनाव याचिका में सभी भौतिक तथ्य प्रस्तुत किए जाने चाहिए। यदि किसी वाद या याचिका में भौतिक तथ्य नहीं बताए गए हैं, तो उसे केवल उसी आधार पर खारिज किया जा सकता है क्योंकि मामला संहिता के आदेश VII के नियम 11 के खंड (ए) के अंतर्गत आएगा। हालाँकि, सवाल यह है कि क्या याचिकाकर्ता ने चुनाव याचिका में भौतिक तथ्य रखे थे। अभिव्यक्ति 'भौतिक तथ्य को न तो अधिनियम में और न ही संहिता में परिभाषित किया गया है। यह कहा जा सकता है कि भौतिक तथ्य वे तथ्य हैं जिन पर कोई पक्ष अपने दावे या बचाव के लिए भरोसा करता है। दूसरे शब्दों में, भौतिक तथ्य वे तथ्य हैं जिन पर वादी की कार्रवाई का कारण या प्रतिवादी का बचाव निर्भर करता है। किन विवरणों को भौतिक तथ्य कहा जा सकता है, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा और सार्वभौमिक अनुप्रयोग का कोई नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता है। हालाँकि, यह बिल्कुल आवश्यक है कि सभी बुनियादी और प्राथमिक तथ्य जिन्हें कार्रवाई या बचाव के कारण के अस्तित्व को स्थापित करने के लिए पार्टी द्वारा परीक्षण में साबित किया जाना चाहिए, वे भौतिक तथ्य हैं और पार्टी की दलील में बताए जाने चाहिए।

लेकिन, यह भी समान रूप से स्थापित है कि 'भौतिक तथ्यों और

'विवरण' के बीच अंतर है। भौतिक तथ्य, प्राथमिक या बुनियादी तथ्य होते हैं जिन्हें पक्ष द्वारा उसके द्वारा दायर किए गए मामले के समर्थन में या तो अपनी कार्रवाई या बचाव के लिए पेश किया जाना चाहिए। दूसरी ओर, विवरण, पक्ष द्वारा पेश किए गए भौतिक तथ्यों के समर्थन में विवरण हैं। वे बुनियादी तथ्यों को अंतिम रूप देकर भौतिक तथ्यों को बढ़ाते, परिष्कृत और सुशोभित करते हैं ताकि इसे पूर्ण, अधिक स्पष्ट और अधिक जानकारीपूर्ण बनाया जा सके। विवरण निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करते हैं और विरोधी पक्ष को आश्चर्यचकित नहीं करेंगे।

अब, चुनाव में, याचिकाकर्ता ने पैराग्राफ 9 से 13 में निर्वाचित उम्मीदवार द्वारा अपनाई गई भ्रष्ट प्रथाओं का विवरण दिया है। यह तर्क दिया गया कि लौटे उम्मीदवार ने मतदाताओं को नकदी वितरित करके वोट खरीदने के लिए धन बल का इस्तेमाल किया। उन्होंने बड़ी संख्या में कोटजांभरा, केशोरोई, राजू मिस्पिरी गांवों में दरी (कारपेट), जिनमें से प्रत्येक की कीमत लगभग रु 600, वितरित की। ग्राम राजू मिस्पिरी में मतदाताओं को 600 रुपये का भुगतान किया गया। यह भी आरोप लगाया गया कि कई गांवों को निर्वाचित उम्मीदवार द्वारा एल्युमीनियम के बर्तन दिए गए, ऐसा ही एक गांव था वासनी, तहसील देवरी। जशासा के लेंडीजोब गांव में निर्वाचित प्रत्याशी द्वारा कंबल का वितरण किया गया। शराब स्वतंत्र रूप से वितरित की जाती थी और शराब की खेपों की सुरक्षा पी.एस.आई. यादव द्वारा की जाती थी। यह दावा किया गया कि चुनाव

आयुक्त को फैक्स भेजे जाने के बाद 12 बोतलों वाले 14 बक्से जब्त किए गए थे। यह खेप चुनाव आयुक्त ने एक वाहन से जब्त की थी। लौटे उम्मीदवार द्वारा पूरे निर्वाचन क्षेत्र और पुलिस स्टेशन हाउस अधिकारी, देवरी और लम्बाट में शराब वितरित की गई थी। शराब ले जा रहे सभी वाहनों की एस्कॉर्ट रिटर्न प्रत्याशी खुद कर रहे थे। सालेकसा और आमगांव थाने में भी यही प्रक्रिया अपनाई गई। मतदान से पहले दो दिनों तक देवरी और चिचगढ़ में शराब भी बांटी गयी। चुनाव याचिकाकर्ता द्वारा आवेदन प्रदर्श 32 द्वारा जो किया गया, वह चुनाव याचिकाकर्ता को चुनाव याचिका में बताए गए तथ्यों और लगाए गए आरोपों के समर्थन में विवरण प्रदान करना था। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता कि याचिकाकर्ता द्वारा आवेदन प्रदर्श 32 में पहली बार भौतिक तथ्य सामने रखे गए हैं। भ्रष्ट आचरण की प्रकृति के बारे में भौतिक तथ्य याचिकाकर्ता द्वारा चुनाव याचिका में प्रस्तुत किए गए थे और उसके द्वारा आवेदन प्रदर्श 32 दायर करके जो किया गया था, वह चुनाव याचिका में लगाए गए आरोपों के समर्थन में विवरण प्रस्तुत करना था। इसलिए, हमारी राय में, यह नहीं कहा जा सकता कि चुनाव याचिका में भौतिक तथ्यों के अभाव के आधार पर याचिका खारिज की जा सकती है।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि श्री मोहता का यह कथन सही है कि उच्च न्यायालय ने वर्तमान अपील में दिए गए आदेश में कहा है कि याचिकाकर्ता द्वारा दायर याचिका इस आधार पर खारिज की जा सकती है

कि याचिकाकर्ता द्वारा भौतिक तथ्य प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। लेकिन न्यायालय के मुताबिक, संशोधन के आवेदन प्रदर्श 32 को देखते हुए, याचिका खारिज करना उचित नहीं था। इस संबंध में, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा उच्च न्यायालय द्वारा की गई निम्नलिखित टिप्पणियों की ओर इस न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया गया था -

> "भौतिक तथ्य की जांच करने पर, यह एक तस्वीर देता है कि लगाए गए आरोप सामान्य प्रकृति के हैं और कार्रवाई के कारण की पूरी तस्वीर पेश करने में विफल रहे और यह प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दायर दो आवेदनों को अनुमति देने के लिए पर्याप्त था। लेकिन, फिर याचिका की सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता ने एक आवेदन दायर किया है जिसमें याचिका में कथित भ्रष्ट आचरण के भौतिक विवरण प्रस्तुत करने की अनुमति मांगी गई है, प्रदर्श 32 के तहत। हालांकि न्यायालय ने अभी तक ऐसी अनुमति नहीं दी है। लेकिन अगर इन आवेदनों की जांच उस सामग्री विवरण के संदर्भ में की जाती है जिसे अब रिकॉर्ड पर लाया जाना है जिसमें अनुसूची की एक सूची शामिल है जिसमें विशेष रूप से उन व्यक्तियों की सूची शामिल है जिनकी सेवाओं का उपयोग किया गया था और विशिष्ट भ्रष्ट आचरण जिसमें प्रतिवादी नंबर 1 पर शामिल होने का आरोप है, चुनाव के समय, इस सामग्री पर विशेष रूप से विचार करने पर इस न्यायालय की

राय में, याचिका को खारिज करना या दलीलों को खारिज करना उचित नहीं होगा और इसलिए, यह न्यायालय आवेदन को खारिज करता है और याचिकाकर्ता को रिकॉर्ड पर बेहतर विवरण, जिसके लिए उसने अपने आवेदन प्रदर्श 32 के माध्यम से प्रार्थना की थी, रखने की अनुमति देता है।''

चूंकि विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह सही ढंग से प्रस्तुत किया गया था कि आवेदन प्रदर्श 32 की एक प्रति कभी भी लौटे उम्मीदवार को प्रदान नहीं की गई थी (जो इस न्यायालय द्वारा मांगे गए रिकॉर्ड और कार्यवाही से सही और स्पष्ट है और हमारे द्वारा देखी गई है), उस आधार पर उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को रद्द करना उचित होगा। हमारी राय में, आवेदन प्रदर्श 32 की एक प्रति लौटे हुए उम्मीदवार या उसके वकील को देना याचिकाकर्ता का कर्तव्य था। यह न्यायालय का भी कर्तव्य था कि वह लौटे उम्मीदवार और चुनाव लड़ने वाले उत्तरदाताओं को उक्त आवेदन पर उत्तर, यदि कोई हो, प्रस्तुत करने और कानून के अनुसार उचित आदेश पारित करने के लिए समय दे। चूंकि उक्त सम्यक अनुक्रम उच्च न्यायालय द्वारा नहीं अपनाया गया है, इसलिए आदेश को अपास्त कर दिया जाना चाहिए और तदनुसार आदेश को अपास्त किया जाता है।

आवेदन प्रदर्श 22 के संबंध में, यह प्रस्तुत किया गया था कि

उच्च न्यायालय को उक्त आवेदन स्वीकार कर लेना चाहिए था क्योंकि कथन झूठे, तुच्छ थे और दुर्भावनापूर्ण आरोप लगाए गए थे और न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग हुआ था। यह प्रस्तुत किया गया कि उनकी चुनाव से कोई प्रासंगिकता नहीं है। इसके अलावा, उन आरोपों के संबंध में भी एक जांच आयोग नियुक्त किया गया जिसने अपीलकर्ता को दोषमुक्त कर दिया और उच्च न्यायालय द्वारा उक्त पहलू की उचित परिप्रेक्ष्य में सराहना नहीं की गई।

हमारी सुविचारित राय में, चूँकि आदेश सामान्य है, सभी पक्षों को अवसर प्रदान करने के बाद कानून के अनुसार निर्णय लेने के लिए मामले को वापस उच्च न्यायालय में भेजकर इसे पूरी तरह से अपास्त किया जाता है। चूंकि मामला 1999 में हुए चुनाव से संबंधित है, इसलिए उच्च न्यायालय से अपेक्षा की जाती है कि वह मामले का यथाशीघ्र निपटारा करेगा। तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, विशेष रूप से जब उत्तरदाता उपस्थित नहीं होते हैं, तो कॉस्ट के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी सविता (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।